

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक.....

संख्या-7/स्था0-1-9-09/2005 सा0प्र0...../महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-77275 दिनांक 23.09.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री विनोद कुमार गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया को पीठासीन पदाधिकारी, विशेष न्यायालय (इलेक्ट्रिसिटी), मगध एरिया, गया के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु उनकी सेवाएँ ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।

श्री गुप्ता की प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्ष की होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-1-9-09/2005 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि-ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में सी0डी0 के साथ) प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-1-9-09/2005 सा0प्र0.....1.4.2.3.../पटना-15, दिनांक...14.10.19

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-77275 दिनांक 23.09.2019 के प्रसंग में/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया/श्री विनोद कुमार गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

14.10.19

सरकार के अवर सचिव।

3

मार्च १०